झारखण्ड सरकार

वाणिज्य–कर विभाग।

पत्र संख्या– वाकर/कम्प्यू/09/2013– 6102 **/ राँची, दिनांक–** 13/12/13

प्रेषक,

एम0 आर0 मीणा,
सचिव–सह–आयुक्त।

सेवा में,

सभी वाणिज्य–कर संयुक्त आयुक्त (प्रशासन)/(वैट ऑडिट)/ (अपील),
सभी वाणिज्य–कर अंचल प्रभारी।

विषयः– झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर नियमावली, 2006 के नियम **3B** तथा नियम 42 (12) के अधीन राज्य के भीतर परिगमन हेतु प्रयुक्त घोषणा पत्र **SUGAM (P)** की विहित प्रक्रिया में संशोधन करने के सबंध में।

प्रसंगः– विभागीय परिपत्र संख्या– 5241 दिनांक 25.09.2013

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त प्रासंगिक परिपत्र में विभिन्न व्यवसायिक संघों तथा प्रतिष्ठानों द्वारा प्राप्त अभ्यावेदनों के आलोक में **दिनांक 17.12.2013** के प्रभाव से निम्नवत् संशोधन किया जाता हैः–

- राज्यान्तर्गत **SUGAM (P)** सुविधा के लिए निर्गत बीजक (Invoice) की वैधता **चार (4)** दिनों के स्थान पर **छः (6)** दिनों की जाती है।
- ऑनलाईन निर्गमित **SUGAM (P)** की वैधता पूरे राज्य में माल परिवहन हेतु **तीन दिनों (72 घंटे)** के स्थान पर **छः दिनों (144 घंटे)** की होगी। वाहन के क्षतिग्रस्त होने या अन्य परिस्थिति में वाहन बदलने के कारण **(Transhipment)** होने की स्थति में **SUGAM (P)** की वैधता कुल 8 दिन **(6 दिन + 2 दिन)** होगी।

दिनांक 01.01.2014 से उक्त **Transhipment** की सुविधा विभागीय सॉफ्टवेयर में उपलब्ध होगी।

उपरोक्त वर्णित प्रावधानों के अतिरिक्त समय–समय पर सबंधित अधिनियम/नियमावली/सॉफ्टवेयर में संशोधन के आलोक में विहित प्रावधानों में संशोधन/परिवर्तन किया जा सकेगा।

विश्वासभाजन

13.12.13

(एम0 आर0 मीणा)
सचिव–सह–आयुक्त।